LATEST

NEWS

Election

Date : 05th Feb. 2026

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

दैनिक नवज्योति
Jaipur City - 05 Feb 2026 - Page 1

एसआईआर मामले में ममता खुद सुप्रीम कोर्ट में हुई पेश

कहा: 'सिर्फ बंगाल ही क्यों निशाना बनाया जा रहा?'

एजेंसी/नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में खुद पेश होकर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिये उनके राज्य को 'चयनात्मक रूप से निशाना' बनाया जा रहा है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने ईसीआई के खिलाफ बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। इसमें आरोप लगाया गया है कि मौजूदा एसआईआर कवायद से बड़े पैमाने पर मतदाताओं का हक छीना जाएगा। उन्होंने इसे एक अपारदर्शी, जल्दबाजी वाली, असंवैधानिक और गैरकानूनी प्रक्रिया बताया। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी कर उससे सोमवार तक जवाब देने को कहा।

दैनिक भास्कर
जयपुर 05-02-2026

SIR • टीएमसी चीफ ने कहा- चुनावी साल में बंगाल को टारगेट किया गया

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार खुद सीएम ने की पैरवी; ममता ने 13 मिनट दी दलीलें

अनिरुद्ध शर्मा | नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ जारी सियासी घमासान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दिखा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ दाखिल अपनी याचिका पर खुद दलीलें रखीं। यह पहली बार है जब किसी मौजूदा सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दलीलें रखीं। सीजेआई सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ममता ने हाथ जोड़कर कहा, चुनाव से पहले बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कहीं न्याय नहीं मिल रहा।

ममता ने कहा, 'शादी के बाद सरनेम बदलने, काम के कारण पता बदलने वालों और छोटी-मोटी स्पेलिंग की कमियों को डिस्क्रिपेंसी बताकर 1.36 करोड़ नोटिस जारी हुए। मैंने आयोग को 6 पत्र भेजे, जवाब नहीं मिला, इसलिए कोर्ट आना पड़ा। कोर्ट के निर्देशों के बावजूद आधार कार्ड को वैध नहीं मान रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा किया गया।' सीजेआई ने आयोग से कहा- छोटी-मोटी स्पेलिंग या तकनीकी अंतर पर नोटिस देते वक्त संवेदनशील होना चाहिए।

• मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्ष साझा फैसला करेगा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा, टीएमसी ने इस मुद्दे पर संपर्क किया है।

सीजेआई की कोर्ट... ममता ने 3 घंटे किया केस का इंतजार

• सफेद साड़ी और काली शॉल में ममता सवा 10 बजे जजों के बैठने के पहले कोर्ट पहुंचीं। केस कोर्ट नंबर-1 में 37वें नंबर पर था। 21वां, 36वां केस भी एसआईआर का था। तीनों की सुनवाई 12:55 बजे शुरू हुई।
• इससे पहले करीब 3 घंटे ममता चुपचाप कार्रवाई देखती रहीं। वकील और याची उनका वीडियो बनाते रहे।

कोर्ट रूम लाइव

निर्वाचन आयोग वॉट्सएप कमीशन बन गया: ममता असली-पात्र वोटर बाहर नहीं होने चाहिए: सीजेआई

• **सीजेआई:** राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड भी यहां हैं।
• **ममता:** मैं रवींद्रनाथ टैगोर को कोट कर रही हूं- 'जब हमें न्याय नहीं मिलता, तब न्याय दरवाजे के पीछे रोता है।' मैं कोई खास व्यक्ति नहीं, एक बंधुआ जैसी हूं। पार्टी के लिए नहीं, आम लोगों के लिए आई हूं। (हाथ जोड़कर) मीलॉर्ड, केवल 5 मिनट दीजिए।
• **सीजेआई:** पांच नहीं, 15 मिनट देंगे। हर समस्या का समाधान होता है। केवल 3 आधार ऐसे हैं, जिन पर नाम काटने पर आपत्ति नहीं हो सकती- दोषसिद्धि, माइग्रेट और गैर-नागरिक। तकनीकी या भाषाई गलती से असली नागरिक बाहर नहीं होने चाहिए।
• **आयोग:** याचिका की कॉपी नहीं मिली। समय दें।
सीजेआई: यह मामला पहली बार आया है। इसलिए कॉपी नहीं मिली। अगर रॉय, दत्ता, गांगुली जैसे नामों की स्पेलिंग अलग-अलग है तो यह गंभीर मुद्दा है।
• **ममता:** अन्य राज्यों में डोमिसाइल, फैमिली रजिस्टर, आधार और सरकारी दस्तावेज माने गए। चुनावी साल में बंगाल को टारगेट किया गया। 24 साल बाद 4 महीने में इतनी क्या जल्दी थी?
सीजेआई: डिस्क्रिपेंसी के मामलों में स्थानीय भाषा समझने वाली टीम आयोग की मदद कर सकती है।
• **ममता:** आयोग ने डीओ, ईआरओ और बीएलओ की शक्तियां खत्म कर दीं। 3800 माइक्रो-ऑब्जर्वर लगाए हैं। 58 लाख नाम 'मृत' बताएं, जिनमें कई जीवित हैं।
सीजेआई: जरूरत पड़ी तो निर्देश देंगे कि हर नोटिस बीएलओ की अनुमति से ही जारी हो।
• **ममता:** इलेक्शन कमीशन वॉट्सएप कमीशन बन गया।
आयोग: क्लास-2 अफसर नहीं दिए, इसलिए लगाए।
• **सीजेआई:** सोमवार को फिर सुनेंगे, तब तक राज्य क्लास-2 अधिकारियों की सूची पेश करे।

पंजाब केसरी
THU,05 FEBRUARY 2026
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

SIR के खिलाफ ममता ने सुप्रीम कोर्ट में स्वयं दी दलील

कहा- बंगाल को निशाना बनाया जा रहा

नई दिल्ली, 4 फरवरी (एजैंसी) : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में स्वयं अपनी दलीलों को रखा और निर्वाचन आयोग पर राज्य को बेवजह निशाना बनाने और वहां के नागरिकों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया।

बनर्जी ने न्यायालय से लोकतंत्र को बचाने और निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के निष्पक्ष एसआईआर को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि जारी

(शेष पृष्ठ 13 कालम 2 पर)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करतीं बंगाल की सीएम ममता।

चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा ममता बनर्जी ने

एक प्रशिक्षित एडवोकेट ममता बनर्जी पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमे की पैरवी की है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले की पैरवी स्वयं की। उन्होंने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीविज़न (एसआईआर) के खिलाफ दायर अपनी याचिका के समर्थन में दलीलें दीं।

ममता बनर्जी एक प्रशिक्षित अधिवक्ता है और वे पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन गई हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले पर खुद बहस की। इसके लिए उन्होंने अदालत में एक अंतरिम आवेदन दायर कर अनुमति मांगी थी।

ममता लंबे समय से राज्य में एसआईआर अभियान का विरोध करती रही हैं और चाहती हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएं।

- ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर इसकी अनुमति मांगी थी। ज्ञातव्य है कि ममता बनर्जी ने कहा था कि वे खुद एक वकील हैं और एसआईआर पर अपना केस खुद लड़ेंगी।
- ममता बनर्जी लम्बे समय से एसआईआर का विरोध कर रही हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव, 2025 की मतदाता सूची पर ही होने चाहिए।
- ममता बनर्जी ने एसआईआर में भारी विसंगतियों का आरोप लगाया और कहा कि कई महिलाओं के नाम इसलिए हटा दिए क्योंकि उन्होंने विवाह के बाद भारतीय परम्परा के तहत पति का सरनेम लगाना शुरु कर दिया था।
- सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बैंच ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि एसआईआर के संबंध में गणमान्य व्यक्तियों को नोटिस भेजते समय सावधानी बरते। ज्ञातव्य है कि चुनाव आयोग ने पूर्व नौसेना एडमिरल अरूण प्रकाश, नोबल विजेता अमर्त्य सेन व क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजे हैं।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि असम में, जो एक भाजपा-शासित राज्य है, एसआईआर प्रक्रिया क्यों नहीं कराई गई।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर 4 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी और मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित हुई। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 19 जनवरी थी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होने की उम्मीद है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रगति को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अनमैप्ड मतदाताओं का हवाला दिया और कहा कि सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बहुत कम समय बचा है।

बार एण्ड बैंच ने दीवान के हवाले से कहा, अनमैप्ड मतदाता 32 लाख हैं। तार्किक विसंगति सूची में 1.36 करोड़ नाम हैं और 63 लाख मामलों की सुनवाई लंबित है।"

सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने दो याचिकाओं में नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंजाब केसरी
THU,05 FEBRUARY 2026
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 13

पृष्ठ एक के शेष

एसआईआर के...

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा कई जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने एक बार निर्वाचन आयोग को व्हाट्सएप आयोग कहा था, जो स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारियों को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे निर्देशों की ओर इशारा था। बनर्जी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और श्याम दीवान ने किया।

बनर्जी ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से व्यक्तिगत रूप से अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति मांगी। उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ से कहा कि उनकी एसआईआर प्रक्रिया केवल नाम हटाने के लिए है, शामिल करने के लिए नहीं। इससे पहले बनर्जी ने पीठ से पूछा, 'क्या आप मुझे सिर्फ पांच मिनट का समय दे सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने जवाब में कहा कि अदालत उन्हें अपनी दलीलें पेश करने के लिए पांच मिनट नहीं, बल्कि 15 मिनट का समय देगी। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए उपजिलाधिकारी जैसे द्वितीय श्रेणी (ग्रेड-2) के केवल 80 अधिकारियों की सेवाएं प्रदान की हैं। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि राज्य ने निर्वाचन आयोग द्वारा मांगी गई हर चीज उपलब्ध कराई है। मैं एक बंधुआ मजदूर हूं महोदय... मैं एक साधारण परिवार से हूं और मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं। जब निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने बीच में दखल दिया, तो बनर्जी ने हाथ जोड़कर कहा, 'कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें महोदय!' जब निर्वाचन आयोग के वकील ने उनकी दलीलों पर आपत्ति जताई, तो प्रधान न्यायाधीश कांत ने बीच में ही टोकते हुए कहा, 'मैडम बोलने के लिए इतनी दूर तक आई हैं।' सुनवाई के दौरान, पीठ ने टिप्पणी की कि 'पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में बने रहना चाहिए''। अपनी दलीलें समाप्त करते हुए, बनर्जी ने उन्हें बहस करने का अवसर देने के लिए पीठ के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे 'लोकतंत्र को बचाने' का आग्रह किया। पीठ ने नोटिस जारी कर निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उनकी याचिका पर नौ फरवरी तक जवाब मांगा है।

‘Allow me, sir’: Mamata argues against SIR in SC

‘Meant Only For Voters’ Deletion, Not Inclusion’

Dhananjay.Mahapatra
@timesofindia.com

ANI

FROM ASSEMBLY TO COURTROOM: Mamata Banerjee, a law graduate, is perhaps the first CM to argue in-person before the SC

New Delhi: In a dramatic twist to her agitation against the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, West Bengal CM Mamata Banerjee on Wednesday argued in Supreme Court against the exercise, which she has slammed as a tool of harassment. Election Commission has maintained that SIR is necessary for cleansing the voters’ list.

Banerjee, a law graduate and perhaps the first CM to argue in-person before the apex court, watched for 20 minutes, as SC heard West Bengal counsel Shyam Divan on irregularities in SIR in the state. She was heard telling TMC’s Kalyan Banerjee “bolbo toh aaji (I will speak today)”.

After a couple of abortive attempts to interject during the interaction between the bench of CJI Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and Justice Vipul M Pancholi, and the EC counsel D S Naidu, she could wait no longer and said, “Sir...allow me sir. Please allow me to finish my point...The SIR process is only for deletion (of voters) and not for inclusion.”

▶ **EDIT: Didi’s Day In Court**

▶**Continued on P 6**

Will resolve ‘logical discrepancy’ row: SC

The SC bench said it would address the issue of spelling errors in names leading to categorisation of voters under ‘logical discrepancy’ and issue of notices to them. “We will ensure that it is rectified,” the bench said. **P6**

Systematic violence against officials: EC

EC sought SC's urgent intervention to curb and prevent what it called a systematic pattern of violence and threats against its officials conducting SIR rolls in West Bengal. It said cops were reluctant to file FIRs. **P6**

ममता बनर्जी ने सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसका चुनाव पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है।

बनर्जी और उनकी पार्टी ने बंगाल में फर्जी मतदान करने की कला में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने मतदाता सूचियों की खामियों का फायदा उठाकर कई सीटों पर जीत हासिल की थी। टीएमसी को मतदाता सूचियों में मौजूद फर्जी नामों की पूरी जानकारी रहती थी और वह नियमित रूप से अपने समर्थकों को फर्जी मतदान के लिए भेजती थी।

कम से कम 56 लाख नाम ऐसे पहचाने गए हैं जो फर्जी थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे नाम भी हटाए गए, जिनके नाम पर दर्ज लोग बहुत पहले मर चुके थे। इसके साथ-साथ बांग्लादेश से सीमा पार कर आए अवैध प्रवासी भी बंगाल के चुनावों में नियमित रूप से मतदान करते रहे थे।

इन सभी समूहों को मिलाकर देखा जाए तो मतदाता सूची का सही और ईमानदार संशोधन बड़ी संख्या में फर्जी और अवैध मतदाताओं को हटाने का कारण बन सकता है, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ममता बनर्जी को ऐसे फर्जी वोटों से फायदा मिलता रहा है और अब उन्हें इसमें समस्या दिखाई दे रही है। इसलिए वह इस प्रक्रिया को बदनाम करने और खत्म करने की कोशिश कर रही हैं।

■ पर, यह महसूस करते हुए कि अगर, संशोधित वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई तो तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में ''ड्रामा'' करने का निर्णय लिया। अगर, सुप्रीम कोर्ट इस ''ड्रामे'' से प्रभावित होकर, एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित कर देता है तो प्रजातंत्र के लिए काला दिन होगा।

दुर्भाग्य से, सर्वोच्च न्यायालय इस चुनौती का सामना नहीं कर पाया और ऐसा लगता है कि वह उनके राजनीतिक दबाव के आगे झुक गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के राजनीतिक दांव का सामना नहीं कर पाता और मतदाता सूची का सही संशोधन खतरे में पड़ जाता है, तो यह लोकतंत्र और मतदान के लिए दुखद दिन होगा।

अदालत में उनके राजनीतिक भाषण को रोकने के बजाय, जज उनके दबाव वाले तरीके के सामने झुक गए और उन्हें लगभग पंद्रह मिनट तक बोलने दिया। अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया कि वह उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों, जैसे विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में अपनाई जा रही पद्धितयों, पर ध्यान दें।

अदालत तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर आगे सुनवाई करेगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में नामों में छोटे-मोटे अंतर के आधार पर लोगों के नाम मतदाता सूची से मनमाने तरीके से हटाए जा रहे हैं।

बनर्जी ने नाम और उपनाम लिखने के अलग-अलग तरीकों की ओर ध्यान दिलाया, जो वर्तमान व्यवस्था का हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे किसी भी अंतर के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं।

Why do in 3 months what takes 2 years: Didi

▶Continued from P 1

Arguing against the SIR process in West Bengal, CM Mamata Banerjee said, "(Name) mismatch not only in title... (they are deleting names of) daughter (who) after marrying goes to in-laws' house (address shifting), why she is changing title (categorised as change in name) and using husband's title is a mismatch."

CJI Surya Kant said these can never be grounds to delete names. Banerjee replied, "Some daughters who shifted to in-laws' house, their names (were) deleted. It is all unilateral. People who are transferred or shifted address... they are kept in logical discrepancy (list). They (EC) violated... Can they violate SC order? Bengal people were so happy when SC ordered that Aadhaar card would be one of the documents. But they are not implementing it. They do not allow genuine documents. Only Bengal is targeted."

PTI

Mamata alleged that over 100 people, including BLOs, 'died due to SIR'

Banerjee — accused by BJP of opposing the SIR process to protect Bangladeshi infiltrators who have registered as voters in poll-bound Bengal — argued for the postponement of the revision exercise. "SIR is being conducted after 24 years... What is the hurry? What takes two years, why is it being done in three months. Festival season, harvesting season... when people are not in a mood to stay in the city and (want to) go to their homes, at that time they are issuing notices," she said.

She also alleged that over 100 people, including BLOs "died due to SIR". "More than 100 people died, sir. BLOs died and they have written letter saying CEO (state chief electoral officer) is responsible for my suicide. More than 100 people died and so many were hospitalised. West Bengal is (being) harassed. Why not Assam," she asked.

EC counsel Naidu interrupted Mamata, saying there is no cooperation from the state govt. CJI stopped him and said, "Ma'am has come all the way to say something."

"Ma'am Mamata, let me clarify a few things to you. About the Aadhaar card, SIR validity issue was argued for more than two months and judgment is reserved. Therefore, we cannot comment about credibility, credential and admissibility to what extent of Aadhaar card. You will also appreciate that the Aadhaar card has its own limitation when you read the statute in that regard. At the same time, issue about its insertion in the Representation of the People Act, what will be its value, we are yet to determine that," the CJI said.

"Second, you have pointed out the discrepancy part, one solution can be, you depute responsible officers to EC, who can be tasked to verify documents — whether it is a spelling mistake because of translation from Bengali. It must be rectified," he said.

Mamata alleged that electoral registration officers have no power and they (EC) have superseded the powers of all poll officers.

राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा निर्वाचन आयोग

25 वर्षों से अधिक अंतराल के बाद हो रहा है राष्ट्रीय एसईसी सम्मेलन

प्रशान्त ज्योति न्यूज

जयपुर/श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) 24 फरवरी, 2026 को राज्य निर्वाचन आयुक्तों (SECs) का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों के इस सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। यह सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

राष्ट्रीय एसईसी सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में आयोजित हुआ था।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे तथा उद्घाटन सत्र में राज्य निर्वाचन आयुक्तों को संबोधित करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी विशेषज्ञों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) भी इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे।

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अपने-अपने कानूनी ढांचे के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रियाओं एवं लॉजिस्टिक्स से संबंधित विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के कार्यों में समन्वय एवं तालमेल स्थापित करना है।

प्रतिभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता पात्रता से संबंधित निर्वाचन कानूनों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित तकनीकी हस्तक्षेपों जैसे हाल ही में प्रारंभ किए गए ईसीआईनेट (ECINET) डिजिटल प्लेटफॉर्म, ईवीएम आदि विषयों पर चर्चा सत्रों में भाग लेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग, भारत के संविधान एवं देश के विधिक ढांचे के अनुसार मतदाता सूचियों के निर्माण एवं निर्वाचन संचालन के अपने अनुभवों के आधार पर अपनी विशेषज्ञता भी साझा करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोगों की स्थापना राज्यों के संबंधित कानूनों के अंतर्गत 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों की सक्षम प्रावधानों के अनुसार की गई है। राज्य निर्वाचन आयोगों को पंचायतों एवं नगर निकायों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी तथा चुनावों के संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया है।

बालोतराः मतदाता साक्षरता उत्सव का आयोजन

विभिन्न प्रतियोगिताओं व ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देकर किया गया जागरूक

बालोतरा/नवज्योति। मतदाता जागरूकता एवं लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के डीआरजे कन्या महाविद्यालय'' में बुधवार को मतदाता साक्षरता उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ तथा आगंतुकों को मताधिकार के महत्व एवं निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई।

मतदाता साक्षरता उत्सव के अंतर्गत निर्वाचन साक्षरता पोस्टर प्रतियोगिता, नैतिक मतदान के महत्व पर भाषण प्रतियोगिता, निर्वाचन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा निर्वाचन विषयक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, अग्रिम पंजीकरण आवेदन एवं मतदाता विवरण संशोधन (फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8) की प्रक्रिया का हैंड्स-ऑन प्रदर्शन किया गया। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न ऑनलाइन एप्स एवं पोर्टल्स के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई।

आयोजन के दौरान इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबद्वइलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एवं ईएलसी सदस्यों द्वारा शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ, छात्राओं एवं उपस्थित आगंतुकों को मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से नैतिक मतदान तथा माय वोट, माय फैसिलिट जैसे अभियानों के बारे में जागरूक किया गया।

राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा निर्वाचन आयोग

25 वर्षों से अधिक अंतराल के बाद हो रहा है राष्ट्रीय एसईसी सम्मेलन

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) 24 फरवरी, 2026 को राज्य निर्वाचन आयुक्तों (का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों के इस सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। यह सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय एसईसी सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में आयोजित हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे तथा उद्घाटन सत्र में राज्य निर्वाचन आयुक्तों को संबोधित करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी विशेषज्ञों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) भी इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अपने-अपने कानूनी ढांचे के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रियाओं एवं लॉजिस्टिक्स से संबंधित विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के कार्यों में समन्वय एवं तालमेल स्थापित करना है। प्रतिभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता पात्रता से संबंधित निर्वाचन कानूनों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित तकनीकी हस्तक्षेपों जैसे हाल ही में प्रारंभ किए गए ईसीआईनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म, ईवीएम आदि विषयों पर चर्चा सत्रों में भाग लेंगे।

डीआरजे कन्या महाविद्यालय में मतदाता साक्षरता उत्सव आयोजित

विभिन्न प्रतियोगिताओं व ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देकर किया गया जागरूक

मरुमंच न्यूज

बालोतरा। मतदाता जागरूकता एवं लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के डीआरजे कन्या महाविद्यालय में बुधवार को मतदाता साक्षरता उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ तथा आगंतुकों को मताधिकार के महत्व एवं निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। मतदाता साक्षरता उत्सव के अंतर्गत निर्वाचन साक्षरता पोस्टर प्रतियोगिता, नैतिक मतदान के महत्व पर भाषण प्रतियोगिता, निर्वाचन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा निर्वाचन विषयक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं में लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एवं जिम्मेदार मतदाता की भूमिका को लेकर जागरूकता उत्पन्न की गई। कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, अग्रिम पंजीकरण

आवेदन एवं मतदाता विवरण संशोधन (फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8) की प्रक्रिया का हैंड्स-ऑन प्रदर्शन किया गया। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न ऑनलाइन एप्स एवं पोर्टल्स के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। आयोजन के दौरान इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबइलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एवं ईएलसी सदस्यों द्वारा शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ, छात्राओं एवं उपस्थित आगंतुकों को मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से नैतिक मतदान तथा माय वोट, माय फैसिलिट जैसे अभियानों के बारे में जागरूक किया गया।

वक्ताओं ने सभी से लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने एवं प्रत्येक चुनाव में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को मतदान के प्रति सजग रहने, अपने मताधिकार का निर्भीक एवं जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने की शपथ दिलाई गई।

डीआरजे कन्या महाविद्यालय में मतदाता साक्षरता उत्सव आयोजित

विभिन्न प्रतियोगिताओं व ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देकर किया गया जागरूक

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। मतदाता जागरूकता एवं लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के डीआरजे कन्या महाविद्यालय में बुधवार को मतदाता साक्षरता उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ तथा आगंतुकों को मताधिकार के महत्व एवं निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। मतदाता साक्षरता उत्सव के अंतर्गत निर्वाचन साक्षरता पोस्टर प्रतियोगिता, नैतिक मतदान के महत्व पर भाषण प्रतियोगिता, निर्वाचन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा निर्वाचन विषयक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं में लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एवं जिम्मेदार मतदाता की भूमिका को लेकर जागरूकता उत्पन्न की गई। कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, अग्रिम पंजीकरण आवेदन एवं मतदाता विवरण संशोधन (फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8) की प्रक्रिया का हैंड्स-ऑन प्रदर्शन किया गया। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न ऑनलाइन एप्स एवं पोर्टल्स के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। आयोजन के दौरान इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबइलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एवं ईएलसी सदस्यों द्वारा शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ, छात्राओं एवं उपस्थित आगंतुकों को मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से नैतिक मतदान तथा माय वोट, माय फैसिलिट जैसे अभियानों के बारे में जागरूक किया गया। वक्ताओं ने सभी से लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने एवं प्रत्येक चुनाव में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बालोतरा @ पत्रिका . डीआरजे राजकीय कन्या महाविद्यालय, बालोतरा में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. भूराराम ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होते हैं। छात्राएं अपने परिवार एवं आसपास के क्षेत्रों में नए मतदाताओं को जोड़ने ,सभी को मतदान के लिए प्रेरित करें। एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्राओं को नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज कराने, निवास स्थान परिवर्तन, मतदाता सूची में सुधार एवं दिव्यांग व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म संख्या 6, 7, 6ए एवं 8 के संबंध में ऑनलाइन व ऑफलाइन जानकारी दी गई।

अद्यतन किया जा सकेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा निर्वाचन आयोग

25 वर्षों से अधिक अंतराल के बाद हो रहा है राष्ट्रीय एसईसी सम्मेलन

मरुमंच न्यूज

बालोतरा। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) 24 फरवरी, 2026 को राज्य निर्वाचन आयुक्तों (रएउ२) का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों के इस सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। यह सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय एसईसी सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में आयोजित हुआ था।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे तथा उद्घाटन सत्र में राज्य निर्वाचन आयुक्तों को संबोधित करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी विशेषज्ञों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) भी इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे।

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अपने-अपने कानूनी ढांचे के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रियाओं एवं लॉजिस्टिक्स से संबंधित विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के कार्यों में समन्वय एवं तालमेल स्थापित करना है। प्रतिभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता पात्रता से संबंधित निर्वाचन कानूनों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित तकनीकी हस्तक्षेपों जैसे हाल ही में प्रारंभ किए गए ईसीआईनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म, ईवीएम आदि विषयों पर चर्चा सत्रों में भाग लेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग, भारत के संविधान एवं देश के विधिक ढांचे के अनुसार मतदाता सूचियों के निर्माण एवं निर्वाचन संचालन के अपने अनुभवों के आधार पर अपनी विशेषज्ञता भी साझा करेगा। राज्य निर्वाचन आयोगों की स्थापना राज्यों के संबंधित कानूनों के अंतर्गत 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों की सक्षम प्रावधानों के अनुसार की गई है। राज्य निर्वाचन आयोगों को पंचायतों एवं नगर निकायों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी तथा चुनावों के संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया है।

मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन

भास्कर न्यूज | बालोतरा

शहर के डीआरजे राजकीय कन्या कॉलेज में बुधवार को मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राचार्य डॉ. भूराराम ने विद्यार्थियों को उद्‌बोधन में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने एवं चुनाव लोकतंत्र का उत्सव बताते हुए छात्राओं को अपने परिवार आसपास के क्षेत्रों के नए वोटर बनाने एवं चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

महाविद्यालय में एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्राओं को नए मतदाताओं की पंजीकरण, मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज कराने, निवास स्थान बदलने, मतदाता सूची में सुधार व दिव्यांग व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म संख्या 6, 7, 6ए, 8 के बारे में ऑनलाइन व ऑफलाइन जानकारी दी। महाविद्यालय स्वीप कार्यक्रम सहप्रभारी रंजना ने स्वीप के मुख्य लक्ष्यों में अधिक संख्या में मतदाता पंजीकरण, मतदान प्रतिशत बढ़ाना, मतदाता जागरूकता के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना, मतदान संबंधी दूरी को कम करना बताया। सहायक आचार्य संगीता ने रंगोली के माध्यम से छात्राओं को मतदान के प्रति जागरुक होने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया।

डीआरजे कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुआ मतदाता साक्षरता उत्सव

दिव्य पंचायत न्यूज नेटवर्क

विभिन्न प्रतियोगिताओं व ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देकर किया गया जागरूक

बालोतरा। मतदाता जागरूकता एवं लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के डीआरजे कन्या महाविद्यालय'' में बुधवार को मतदाता साक्षरता उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ तथा आगंतुकों को मताधिकार के महत्व एवं निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई।

मतदाता साक्षरता उत्सव के अंतर्गत निर्वाचन साक्षरता पोस्टर प्रतियोगिता, नैतिक मतदान के महत्व पर भाषण प्रतियोगिता, निर्वाचन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा निर्वाचन विषयक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं में लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एवं जिम्मेदार मतदाता की भूमिका को लेकर जागरूकता उत्पन्न की गई।

कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, अग्रिम पंजीकरण आवेदन एवं मतदाता विवरण संशोधन (फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8) की प्रक्रिया का हैंड्स-ऑन प्रदर्शन किया गया। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न ऑनलाइन एप्स एवं पोर्टल्स के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई।

आयोजन के दौरान इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबद्इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एवं ईएलसी सदस्यों द्वारा शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ, छात्राओं एवं उपस्थित आगंतुकों को मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से नैतिक मतदान तथा माय वोट, माय फैसिलिट जैसे अभियानों के बारे में जागरूक किया गया। वक्ताओं ने सभी से लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने एवं प्रत्येक चुनाव में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को मतदान के प्रति सजग रहने, अपने मताधिकार का निर्भीक एवं जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने की शपथ दिलाई गई।

राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा निर्वाचन आयोग

बालोतरा। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) 24 फरवरी, 2026 को राज्य निर्वाचन आयुक्तों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों के इस सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। यह सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय एसईसी सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में आयोजित हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे तथा उद्घाटन सत्र में राज्य निर्वाचन आयुक्तों को संबोधित करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी विशेषज्ञों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) भी इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अपने-अपने कानूनी ढांचे के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रियाओं एवं लॉजिस्टिक्स से संबंधित विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के कार्यों में समन्वय एवं तालमेल स्थापित करना है।